अनवान मुकेश कुमार बनाम हेतराम व अन्य
वाद मुकदमा नं. 72/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 72 /2025

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. मुकेश कुमार पुत्र श्री हेतराम, जाति कुम्हार, आयु 47 वर्ष, निवासी वार्ड न0 8 नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. नरेश कुमार पुत्र श्री हेतराम, जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 8 नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. कृष्णलाल पुत्र श्री हेतराम, जाति कुम्हार निवासी वार्ड न० 8 नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

..... **वादीगण**

ब ना म

1. हेतराम पुत्र स्व० श्री भागीरथ, जाति कुम्हार निवासी वार्ड न० 8 नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. अमित चौधरी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 1 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. जुगल किशोर पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. पृथ्वीराज पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. बलराम पुत्र गोविन्दराम जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र गोविन्दराम जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. श्रवण कमार पुत्र गोविन्दराम जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
8. साहबराम पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
9. डावा पुत्र नन्दा जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
10. भीमराज पुत्र रामसुख जाति कुमावत निवासी मकान नम्बर 32 भगत सिह कॉलोनी श्रीगंगानगर।
11. मोतीराम पुत्र रामसुख जाति कुमावत निवासी मकान नम्बर 32 भगत सिह कॉलोनी श्रीगंगानगर।
12. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा, उद्योग विहार श्रीगंगानगर ।
13. केनरा बैक शाखा, उद्योग विहार श्रीगंगानगर ।
14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्री[illegible]

...... **प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित—अधिवक्ता श्री शुभम [illegible] वादी 1
अधिवक्ता जय प्रकाश [illegible] प्रति.—14
पैरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अनवान मुकेश कुमार बनाम हेतराम व अन्य
वाद मुकदमा नं. 72/2025

—:: निर्णय ::—

दिनांक 18.07.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 5 एमएल पटवार हल्का नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 236 पुराना 144 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 106 के किला नम्बर 1/2 मे 0.240 हैक्टेयर, किला नम्बर 2/2 मे 0.240 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 ता 12 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 19/2 में 0.050 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 मे 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 में 0.088 हैक्टेयर कुल 1.8830 हैक्टेयर बारानी व मुरब्बा नम्बर 107 के किला नम्बर 5/2 मे 0.240 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 व 7 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 14 मे 0.215 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 सालम, किला नम्बर 16 मे 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 मे 0.025 हैक्टेयर कुल 1.4290 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि कुल समस्त मुरब्बाजात 3.3120 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि मे प्रतिवादी सख्या 1 के नाम 1381/5520 हिस्सा (0.8286 हैक्टेयर) दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा इसी चक के खाता संख्या नया 235 पुराना 143 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 107 के किला नम्बर 4/2 में 0.240 हैक्टेयर कुल 0.240 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि मे प्रतिवादी सख्या 1 के नाम 607/2400 हिस्सा (0.0607 हैक्टेयर) दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि वर्तमान जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। चक 2 एच एच द्वितिय पटवार हल्का नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 95 पुराना 31 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1/1 में 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 1/2 में 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 2/1 मे 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 2/2 मे 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 3/1 मे 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 3/2 में 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 4/1 मे 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 4/2 में 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/1 में 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/2 में 0.025 हैक्टेयर किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 11/1 में 0.1810 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 20/2 में 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 21/2 में 0.012 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 5.7720 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम 373/962 हिस्सा (2.238 हैक्टेयर) दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि वर्तमान जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण पिता पुत्र है। उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके अपने पिता स्व० श्री भागीरथ से विरास्तन प्राप्त हुई है तथा समस्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद कृषि भूमि है व काश्त कर रहे है। उपरोक्त समस्त कृषि भूमि में वादीगण का अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी संयुक्त परिवार कि समस्त कृषि भूमि का आपस मे मैखिक घरु बंटवारा कर लिया एवं बंटवार अनुसार काबिज काश्त है। मैखिक घरु बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को निम्न अनुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई :—

वादीगण का संयुक्त रुप से बहिस्सा बराबर बराबर

चक 2 एच एच द्वितिय पटवार हल्का नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 95 पुराना 31 के [illegible] किला नम्बर 1/1 में 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 1/2 में 0.025 [illegible] नम्बर 2/1 में 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 2/2 में 0.025 हैक्टेयर, [illegible] 228 हैक्टेयर, किला नम्बर 3/2 में 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 4/1 मे 0.22[illegible] किला नम्बर 4/2 में 0.025 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/1 मे 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/2 में 0.025 हैक्टेयर किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक सालम, किला नम्[illegible] 1/1 में 0.1810 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किला नम्बर 12 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 20/2 मे 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 21/2 में 0.012 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 5.7720 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज 373/962 हिस्सा (2.238 हैक्टेयर) कृषि भूमि बहिस्सा बराबर बराबर

प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा

चक 5 एम एल पटवार हल्का नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 236 पुराना 144 मे दर्ज 1381/5520 हिस्सा (0.8286 हैक्टेयर) दर्ज हिस्सा व खाता संख्या नया 235 पुराना 143 मे दर्ज 607/2400 (0.0607 हैक्टेयर) हिस्सा

वादीगण द्वारा अनेको बार प्रतिवादी स० 1 से कहा गया कि संयुक्त परिवार कि जद्दी जायदाद का मैखिक घरु बंटवारा अनुसार अपने हक व हिस्सा अनुरुप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए आप सक्षम अधिकारी के यहां सहमति से ब्यान कर दो ताकि वादीगण के हिस्सा कि कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जा सके। पहले तो प्रतिवादी स० 1 आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 15 रोज पूर्व वादीगण के हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही बिनाये दावा है। जो वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ प्राप्त है। वादीगण कि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद कृषि भूमि में मैखिक घरु बंटवारा अनुसार अपने हिस्सा कि कृषि भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना बिना वाद लाये सम्भव नहीं रहा है, इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि वादीगण मैखिक घरु बंटवारा अनुसार अपने हिस्सा कृषि भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा सके। प्रतिवादी संख्या 14 जो कि भूमि धारी है, इसलिए आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 संयुक्त खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी सख्या 12 व 13 के पास अन्य प्रतिवादीगण कि भूमि रहन होने के कारण आवश्यक पक्षकार है। इनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि वादीगण वाद कि चरण सख्या 6 मे वर्णित कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम कृषि भूमि का इन्द्राज किया जावे।

(ख) स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि वादीगण के हिस्सा कि कृषि भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मदाखलत बेजा करने से बाज व ममनू रहे।

(ग) अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व वादीगण के हित में हो प्रदान की जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय में वाके चक 5 एम.एल., 2 एचएच द्वितीय की भूमि के विभाजन व अधिकारों की घोषणा हेतु लम्बित हैं। पक्षकारान एक ही पूर्वज की सन्तान हैं। पक्षकारान में पूर्व प्रथम पक्षकारान, द्वितीय पक्ष के पुत्रगण [illegible] का भाव व स्नेह [illegible] उक्त वाद के काफी में एक–दूसरे के प्रति अत्याधिक सहयोग [illegible] होने की [illegible] नहीं आने से लोक समय से चले आने से और इसके ज[illegible] पक्षकारान ने उपरोक्त [illegible] के वाद में आपसी अदालत की भावना से व रिश्तेदारों की [illegible] आपसी [illegible] के वाद में निम्न प्रकार विवाद का निपटारा कर लिया हैं और इसके [illegible] से राजीनामा कर लिया हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम पक्ष/वादी सं. 1 ता 3 का संयुक्त रुप से बहिस्सा बराबर :–

वाके चक 2 एच.एच. द्वितीय, पटवार हल्का नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 95 पुराना 31 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नं. 1/1 में 0.228 हैक्टयर, किला नं. 1/2 में 0.025 हैक्टयर, किला नं. 2/1 में 0.228 हैक्टयर, किला नं. 2/2 मे 0.025 हैक्टयर, किला नं. 3/1 में 0.228 हैक्टयर, किला नं. 3/2 में 0.025 हैक्टयर किला नं. 4/1 में 0.228 हैक्टयर, किला नं. 4/2 में 0.025 हैक्टयर, किला नं. 5/1 में 0.228 हैक्टयर, किला नं. 5/2 में 0.025 हैक्टयर किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक सालम, किला नं. 11/1 में 0.1810 हैक्टयर, किला नं. 12 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं. 20/2 में 0.013 हैक्टयर, किला नं. 21/2 मे 0.012 हैक्टयर, किला नं. 22 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 5.7720 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज 373/962 हिस्सा (2.238 हैक्टयर) कृषि भूमि बहिस्सा बराबर बराबर ।

द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी सं. 1 हेतराम का हिस्सा :–

चक 5 एम.एल. पटवार हल्का नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 236/144 में दर्ज 1381/5520 हिस्सा (0.8286 हैक्टयर) दर्ज हिस्सा व खाता संख्या 235/143 में दर्ज 607/2400 (0.0607 हैक्टयर) हिस्सा।

लिहाजा यह राजीनामा पक्षकारान ने आपसी सहमति से, स्वेच्छा से बिना किसी दबाव व प्रलोभन के तहरीर कर निष्पादित कर दिया हैं। दोनो पक्ष राजीनामा अनुसार उक्त वाद का निर्णय करने में सहमत हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी विवाद नहीं होने एवं प्रकरण में राजीनामा पेश होने पर प्रकरण में विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

वादी द्वारा साक्ष्य वादी में कृष्ण लाल पुत्र श्री हेतराम जाति कुम्हार उम्र 34 वर्ष निवासी वार्ड नं. 08 नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमे जमाबंदी सम्वत 2072–2075 चक 5 एमएल पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 236/144 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2072–2075 चक 5 एमएल पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 235/143 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2073–2076 चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 95/31 प्रदर्श–3, जमाबंदी चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 287/19 प्रदर्श–4, प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम पुत्र श्री भागीरथ जाति कुम्हार उम्र 63 वर्ष निवासी वार्ड नं. 08 नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये प्रदर्श–5 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त कृषि भूमि का बंटवारा वादीगण मुकेश कुमार वगैरह के हक में हो जाता है तो मिकर को कोई आपत्ति नहीं है अर्थात मिकर पूर्णतया सहमत है। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मिकर के वादीगण (मुकेश कुमार, कृष्ण लाल व नरेश कुमार) के अलावा अन्य कोई वारिस नही है इस प्रकार से कुल तीन वारिस है। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उक्त कृषि भूमि बाबत अन्य किसी न्यायालय में कोई वाद, विवाद नहीं है और ना ही स्थगन आदेश जारी है और ना ही बैंक के रहन है यानि हर प्रकार के ऋण भार, रहन भार, वाद, विवाद, स्थगन से पाक व साफ हालात में है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बहस में कथन किये गये कि वाद में प्रस्तुत जमाबंदी में द[illegible] संख्या 1 हेतराम पुत्र भागीरथ के नाम संयुक्त खाता में दर्ज हिस्सा का विभाजन [illegible] के मध्य आपसी राजीनामा से होना है। वाद में प्रतिवादी संख्या 2 ता 13 [illegible] खातेदार है जिनसे वादीगण का कोई अनुतोष नहीं है। अतः प्रकरण का निस्तारण वाद में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत जमाबंदीयों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम द्वारा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा का विभाजन अपने तीनों पुत्रों में बहिस्सा बराबर करना चाहता है, वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सा का विभाजन होना है। वाद में शेष भूमि अपने पास रखना चाहता है। अन्य पक्षकार फोर्मल पक्षकार है। अतः वाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की हद तक मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जा सकता है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों जमाबंदी सम्वत 2072–2075 चक 5 एमएल पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 236/144 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2072–2075 चक 5 एमएल पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 235/143 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2073–2076 चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 95/31 प्रदर्श–3, भूमि के विरास्तन साक्ष्य के रूप में जमाबंदी चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि. नेतेवाला, खाता संख्या 287/19 प्रदर्श–4, एवम् शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये प्रदर्श–5 का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये के स्टाम्प पर इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि " उक्त कृषि भूमि का बंटवारा वादीगण मुकेश कुमार वगैरह के हक में हो जाता है तो मिकर को कोई आपत्ति नहीं है अर्थात मिकर पूर्णतया सहमत है। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मिकर के वादीगण (मुकेश कुमार, कृष्ण लाल व नरेश कुमार) के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है इस प्रकार से कुल तीन वारिस है। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उक्त कृषि भूमि बाबत अन्य किसी न्यायालय में कोई वाद, विवाद नहीं है और ना ही स्थगन आदेश जारी है और ना ही बैंक के रहन है यानि हर प्रकार के ऋण भार, रहन भार, वाद, विवाद, स्थगन से पाक व साफ हालात में है।" वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 ता प्रदर्श–5 के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक [illegible] वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया [illegible]

क. सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	मुकेश कुमार, नरेश कुमार,	चक 2 एच.एच. द्वितीय, पटवार हल्का नेतेवाला, तहसील व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

	कृष्णलाल पुत्र हेतराम(वादीगण) बहिस्सा बराबर बराबर ।	जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 95 पुराना 31 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नं. 1/1 में 0.228 हैक्टयर, किला नं. 1/2 में 0.025 हैक्टयर, किला नं. 2/1 में 0.228 हैक्टयर, किला नं. 2/2 मे 0.025 हैक्टयर, किला नं. 3/1 में 0.228 हैक्टयर, किला नं. 3/2 में 0.025 हैक्टयर किला नं. 4/1 में 0.228 हैक्टयर, किला नं. 4/2 में 0.025 हैक्टयर, किला नं. 5/1 में 0.228 हैक्टयर, किला नं. 5/2 मे 0.025 हैक्टयर किला नं. 6 ता 10 प्रत्येक सालम, किला नं. 11/1 में 0.1810 हैक्टयर, किला नं. 12 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं. 20/2 में 0.013 हैक्टयर, किला नं. 21/2 मे 0.012 हैक्टयर, किला नं. 22 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 5.7720 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज 373/962 हिस्सा (2.238 हैक्टयर) कृषि भूमि बहिस्सा बराबर बराबर ।
2	हेतराम पुत्र स्व० श्री भागीरथ (प्रतिवादी संख्या 1)	चक 5 एम.एल. पटवार हल्का नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 236/144 में दर्ज 1381/5520 हिस्सा (0.8286 हैक्टयर) दर्ज हिस्सा व खाता संख्या 235/143 में दर्ज 607/2400 (0.0607 हैक्टयर) हिस्सा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18.07.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner